दैनिक जागरण
सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं

प्लास्टिक विरोधी मुहिम

एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ छेड़ी जाने वाली मुहिम स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बननी ही चाहिए, लेकिन इसमें संदेह है कि केवल जागरूकता फैलाकर अपेक्षित सफलता हासिल की जा सकती है। पर्यावरण मंत्रालय को इससे अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि प्लास्टिक की तमाम ऐसी वस्तुएं प्रचलन में आ चुकी हैं जिनका विकल्प उपलब्ध कराकर ही उसका उपयोग कम किया जा सकता है। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का उपयोग सीमित करने के लिए उसके विकल्प उपलब्ध कराने के साथ ही आम जनता के समक्ष यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि 2 अक्टूबर से किस-किस तरह के प्लास्टिक पर पाबंदी होगी? आम लोगों को इससे भी अवगत कराने की जरूरत है कि प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के साथ ही सेहत के लिए भी हानिकारक है। कम से कम इसके प्रति तो लोगों को चेताया ही जाना चाहिए कि प्लास्टिक की थैलियों में खाने-पीने की सामग्री रखने के कैसे दुष्परिणाम सामने आते हैं? यह काम इसलिए प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियों के साथ कप-प्लेट आदि का इस्तेमाल गांवों-कस्बों में बड़े पैमाने पर होने लगा है और वहां अधिकतर लोग इससे अनजान ही हैं कि उनमें खान-पान की गर्म सामग्री रखना एक तरह से सेहत से जानबूझकर खिलवाड़ करना है। बेहतर यह होगा कि प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान में अन्य विभागों को भी शामिल किया जाए।

यह सही है कि एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के विकल्प रातों-रात उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, लेकिन इस दिशा में तेजी से कदम उठाए जाना आवश्यक है। प्लास्टिक के खिलाफ शुरू किया जाने वाला अभियान केवल प्लास्टिक की थैलियों की जगह जूट या कपड़े के थैले या फिर प्लास्टिक के कप के स्थान पर कुल्हड़ के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। आखिर इसकी अनदेखी कैसे की जा सकती है कि वर्तमान में खान-पान की लगभग प्रत्येक सामग्री की पैकिंग प्लास्टिक में हो रही है? इसके अलावा दूध भी प्लास्टिक की थैलियों में मिल रहा है। इसे देखते हुए यह भी समय की मांग है कि वे कंपनियां भी इस अभियान में योगदान देने के लिए सक्रिय हों जो अपने उत्पादों की पैकिंग प्लास्टिक में करती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे उपाय भी करने होंगे जिससे प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग बढ़ सके। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के भी ऐसे तौर-तरीके विकसित करने की जरूरत है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं या फिर कम से कम पहुंचाएं। इस जरूरत की पूर्ति करते हुए यह भी देखा जाना चाहिए इन तौर-तरीकों पर सही तरह से अमल भी हो।

सही वक्त पर उचित कदम

पूरे बिहार में बारिश से त्रहिमाम की स्थिति है। बारिश शुरू हुई तो किसान खुश थे कि धान की फसल को पंपसेट से पानी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बादल घने हुए तो लगातार बरसते रहे। ऐसे में धान की फसल डूब रही है। नदियां उफना रहीं। शहरी इलाकों के लिए बारिश आफत बन गई है। पटना गंभीर खतरे के सामने खड़ा है। 1975 की बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो भर गए हैं। देश-दुनिया से लोग पटना के लोगों का हालचाल पूछ रहे। यह सवाल भी तैर रहा कि इस बुरी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? राजेंद्रनगर और कंकड़बाग के इलाकों में पिछले दस साल में कई बार ऐसी स्थिति हुई है। उसके बाद दावे किए गए है कि बड़ा नाला बन जाने से अब ऐसा नहीं होगा। ये सभी दावे बह गए हैं। नगर निगम और शहर की व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों पर गंभीर सवाल हो रहे हैं। इनकी बदहाली और लापरवाही का पोस्टमॉर्टम जारी है। पता नहीं इसके बाद इनका कितना इलाज संभव हो पाएगा। जाहिर है यह प्रश्न लंबे समय तक प्रासंगिक रहेगा। जवाब शीर्ष अधिकारियों और राजनीतिकों को खोजना होगा। दोषियों को कड़ी सजा देनी होगी। सबक लेना होगा। इसी सवाल के जवाब में पटना की खुशहाली है। एक शहर जो स्मार्ट सिटी बनने की कोशिश कर रहा। मेट्रो का स्वागत करने को तैयार है। नए-नए भवनों पर इतरा रहा, वह ऐसा जलजमाव आखिरकार कब तक झेलेगा? फिलहाल राहत और बचाव का समय है। जो लोग राजेंद्रनगर और आसपास के इलाकों में अपने घरों में कैद हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे, उन्हें निकालने में देर नहीं होनी चाहिए। अच्छा यह है कि उनकी मदद के लिए वायुसेना की मदद ले ली गई है। यह इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि रविवार को देर रात तक बारिश नहीं रुकी। सोमवार को भी रुकने के आसार कम हैं। गंगा और पुनपुन जैसी नदियों में पानी और बढ़ने की आशंका है। पानी निकालने के लिए संप हाउस अगर ठीक से काम नहीं कर रहे तो वैकल्पिक उपाय क्या हैं? नई तकनीक के जमाने में सेना या अन्य किसी एजेंसी के पास ऐसे इंतजाम हैं जो इस स्थिति में मदद कर सकें। उसकी मदद लेने का फैसला हर दृष्टि से उचित है। इस समय युद्ध स्तर पर मदद की दरकार भी है।

गांधी का सपना पूरा करता स्वच्छता अभियान

गजेंद्र सिंह शेखावत

जन सहयोग और जन सहभागिता हमारी वह पूंजी है जो स्वच्छता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का जरिया बनेगी

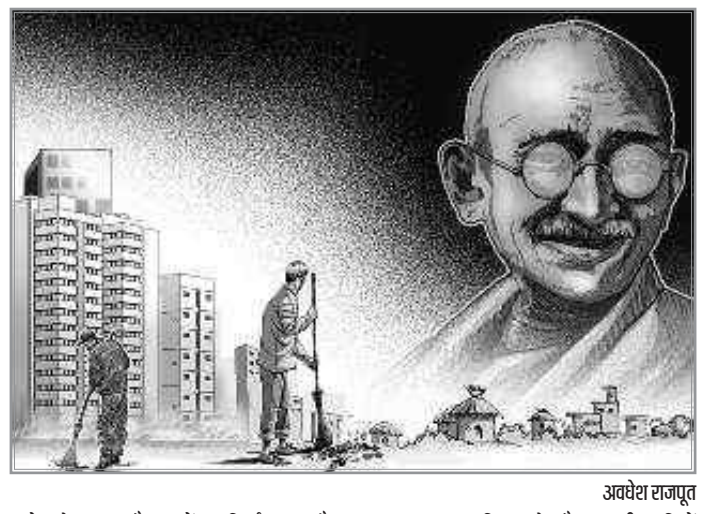

अवधेश राजपूत

हमारे देश में यह त्रासदी रही कि जिस स्वच्छता को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता से भी ज्यादा आवश्यक मानते थे उस विषय को आजादी के बाद यथोचित प्राथमिकता नहीं दी गई। 1947 से लेकर 2014 तक हम केवल 39 प्रतिशत घरों तक ही शौचालय की सुविधा पहुंचा पाए थे। इसके अभाव में न केवल हमारी माताओं और बहनों को काफी परेशानी हो रही थी, बल्कि हमारे बच्चे भी इस अभाव के दुष्प्रभाव से पीड़ित थे। हमारी माताएं और बहनें तो आजाद देश में भी उजाले की कैदी की तरह थीं। उन्हें अंधेरे का इंतजार करना होता था ताकि वे शौच के लिए जा सकें। यह मानवीय गरिमा के खिलाफ तो था ही, महिलाओं के स्वाभिमान पर सीधा आघात भी था। इसे बदलने की नितांत आवश्यकता थी।

गांधी जी ने युवावस्था में ही भारतीयों में स्वच्छता के प्रति उदासीनता को महसूस कर लिया था। उन्होंने किसी भी सभ्य और विकसित मानव समाज के लिए स्वच्छता के उच्च मानदंड की आवश्यकता को समझा। गांधी जी कहते थे कि कार्यकर्ता को गांव की स्वच्छता और सफाई के बारे में जागरूक रहना चाहिए और गांव में फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभालते ही वर्ष 2014 में लाल किले की प्राचीर से देशवासियों से यह आह्वान किया कि हम बापू के सपनों का स्वच्छ भारत निर्मित करें। उन्होंने यह संकल्प लिया कि अगले पांच वर्षों में लोक सहयोग से हम स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे और गांधी जी की 150वीं जयंती पर यह कृतज्ञ राष्ट्र उनके कदमों में एक स्वच्छ भारत समर्पित करेगा। उस वक्त किसने यह यकीन किया होगा कि पांच वर्षों में 60 करोड़ लोगों का व्यवहार परिवर्तन संभव हो जाएगा और भारत सदियों से खुले में शौच की प्रथा से मुक्त हो जाएगा? उनके संकल्प की आज सिद्धि हुई है। उन्होंने न केवल जन-मानस को स्वच्छ भारत के लिए प्रेरित किया,अपितु समाज के सभी वर्गों को अपने स्वच्छता के प्रति समर्पण से निरंतर अनुप्राणित किया। उन्होंने स्वच्छता के लिए अभूतपूर्व धनराशि भी उपलब्ध कराई ताकि स्वच्छ भारत के क्रियान्वयन में धन की कमी बाधा न बने।

तमाम अवसरों पर तो वह स्वयं स्वच्छता की गतिविधियों का नेतृत्व करते देखे गए। देखते ही देखते बीते पांच वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान ने एक जन-आंदोलन का स्वरूप लिया और संभवतः यह दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में स्थापित हुआ। यह इस जनांदोलन का ही परिणाम रहा कि जहां 2014 में मात्र 39 प्रतिशत घरों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी वहीं आज वह बढ़कर 99 प्रतिशत हो गई है। स्वच्छ भारत अभियान के प्रारंभ के बाद से देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। देश के सारे जिले और सारे गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। आज जो आसान प्रतीत हो रहा है वह हमारे लाखों स्वच्छाग्रहियों, सरपंचों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, बच्चों, अभिभावकों और जन-सामान्य के असामान्य परिश्रम का प्रतिफल है। छह लाख से ज्यादा गांवों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना बहुत ही कठिन कार्य था। हमने सामुदायिक उत्प्रेरण की तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इन गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने की तकनीकों का सफलतापूर्वक उपयोग किया और यह सुनिश्चित किया कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने गांवों को स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका अदा करें।

स्वच्छ भारत वस्तुतः एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक क्रांति का कार्यक्रम बना है। स्वच्छ भारत ने समाज को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। सभी वर्गों और सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ आकर स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाया है। स्वच्छ भारत अभियान के दौरान सभी जातियों के लोगों ने आपसी भेद-भाव को भूलकर अपने ग्राम को खुले में शौच से मुक्त बनाया। इस कार्यक्रम में अनेक ऐसे पड़ाव आए जब समस्त ग्रामवासियों ने एक साथ बैठकर आपसी बैर-भाव को भूलकर अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु उल्लेखनीय कार्य किया। इस कार्यक्रम ने महिलाओं को और अधिक मुखर बनाया। आपसी सहयोग से उन्होंने न सिर्फ खुले में शौच की अपनी समस्या का निदान किया, बल्कि अनेक कुरीतियों का भी निदान किया। स्वच्छता कार्यक्रम ने गरीब वर्गों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित किए और कई राज्यों में तो महिलाओं ने रानी मिस्त्री बनकर अपने लिए नए रोजगार खोजे। एक अनुमान है कि 10 करोड़ शौचालयों के निर्माण में लगभग 83 करोड़ से अधिक मानव दिवस रोजगार उत्पन्न हुए होंगे। इस स्वच्छता कार्यक्रम ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को भी बढ़ावा दिया।

खुले में शौच वाले गांवों में डायरिया के मामले ओडीएफ यानी खुले में शौच से मुक्त गांवों की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक पाए गए। यूनिसेफ का अनुमान है कि मुख्यतः स्वच्छता की कमी के कारण भारत के पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में से लगभग 38 प्रतिशत बच्चे शारीरिक और संज्ञानात्मक रूप से कुपोषित हैं। हमारे भविष्य के कार्य बल का इतना बड़ा हिस्सा अपनी पूर्ण उत्पादक क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहा था। अध्ययन से यह परिलक्षित होता है कि स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन के बाद इस दिशा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

मेरा मानना है कि हमने काफी सफलता हासिल की है, परंतु अभी बहुत कार्य किया जाना बाकी भी है। हमें देश के हर घर तक पहुंचना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोग स्वच्छता की सुविधाओं से युक्त हों और स्वच्छ व्यवहारों को सदैव अपनाते रहें। आने वाले दिनों में स्वच्छता एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहार के स्थायित्व के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जाएंगे। अगले एक वर्ष में हम सभी ग्राम प्रधान स्वच्छाग्रही और हितग्राहियों की क्षमता वर्धन का कार्य करेंगे ताकि वे स्वच्छता सेवाओं के स्थायित्व को सुनिश्चित कर सकें। इसी सिलसिले में ओडीएफ प्लस के कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि गांवों में कूड़े-कचरे एवं ग्रे वाटर के समुचित निपटान की व्यवस्था हो सके। इसी क्रम में प्लास्टिक कचरे के निपटान की भी व्यवस्था की जाएगी। वास्तव में हम सबको मिलकर स्वच्छता के कई नए आयाम प्राप्त करने हैं। जन सहयोग और जन सहभागिता हमारी वह पूंजी है जो इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का माध्यम बनेगी। हमें भरोसा है कि देश वास्तविक रूप में गांधी जी के सपनों का स्वच्छ भारत बन कर रहेगा।

(लेखक केंद्रीय जलशक्ति मंत्री हैं)

response@jagran.com

बैंक घोटाले पर राजनीति

अवधेश कुमार

यह जानना जरूरी है कि पवार और अन्य आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश उच्च न्यायालय का है

महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (एमएससीबी) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राकांपा अध्यक्ष शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार सहित बैंक के 70 पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग और अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तो हंगामा मचा ही है, देश में भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है। शरद पवार का नाम नहीं आता तो यह देशव्यापी चर्चा का विषय नहीं होता। अजीत पवार का नाम इस घोटाले में पहले से चल रहा था। इसलिए उनके नाम पर पार्टी अवश्य विरोध करती, लेकिन यह इतना बड़ा राजनीतिक मामला नहीं बनता। किसी बड़े नेता पर जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो उसे हमेशा राजनीतिक रंग दिया जाता है। इन दिनों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है इसलिए यह आरोप लगाना ज्यादा आसान है कि पूरा मामला ही राजनीति से प्रेरित है। शरद पवार ने राजनीतिक तरीके से इसका जवाब देने की रणनीति भी अपनाई। वह कह रहे हैं कि हम शिवाजी के अनुयायी हैं और दिल्ली के तख्त के आगे नहीं झुकेंगे।

यह साफ तौर पर राजनीति का मराठा कार्ड खेलना है। प्रश्न है कि क्या इसे खालिस राजनीति का मामला मान लिया जाए या इसमें तार्किकता भी है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में न्यायालय में पेश किए गए तथ्यों के आधार पर शरद पवार और अन्य आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और एसके शिंदे ने कहा था कि आरोपितों के खिलाफ 'विश्वसनीय साक्ष्य' हैं। यह करीब 25 हजार करोड़ रुपये का घोटाला है। क्या बिना किसी की संलिप्तता के ही इतनी राशि हवा हो गई? इस मामले में मुंबई पुलिस ने पिछले महीने एक प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी के अनुसार, उसने मुंबई पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर मनी लांड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआइआर) दर्ज की है। राज्य की आर्थिक अपराध शाखा की शिकायत के आधार पर इस साल अगस्त में मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया था।

इसी आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोप लगाए हैं। एजेंसी ने कर्ज देने और अन्य प्रक्रिया में कथित अनियमितता की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। आरोप है कि यह सारा फर्जीवाड़ा संचालक मंडल द्वारा लिए गए गलत फैसलों की वजह से संभव हो पाया। ईडी इन आरोपों की जांच कर रही है कि एमएससीबी के शीर्ष अधिकारी, अध्यक्ष, एमडी, निदेशक, सीईओ और प्रबंधकीय कर्मचारी और सहकारी चीनी मिल के पदाधिकारियों को अनुचित तरीके से कर्ज दिए गए। राज्य सहकारी बैंक से शक्कर कारखानों और कपड़ा मिलों को बेहिसाब कर्ज बांटे गए। इसके अलावा कर्ज वसूली के लिए जिन कर्जदारों की संपत्ति बेची गई, उसमें भी जानबूझकर बैंक को नुकसान पहुंचाया गया।

पुलिस की प्राथमिकी के मुताबिक एक जनवरी 2007 से 31 मार्च 2017 के बीच हुए महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के कारण सरकारी खजाने को करीब 25 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यहां यह भी याद दिलाना जरूरी है कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में अनियमितताओं के लिए शरद पवार के अलावा 75 नेताओं के खिलाफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने जांच की थी। नाबार्ड ने 2010 में अपनी जांच रिपोर्ट में इनको दोषी माना था। यह बात अलग है कि प्रदेश एवं केंद्र दोनों जगह सरकार होने के कारण यह मामला जहां का तहां रुक गया। ईडी की प्राथमिकी में इस रिपोर्ट का भी उल्लेख है। यही नहीं उसने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसायटीज कानून के तहत दाखिल आरोपपत्र और इंटरनल ऑडिटर मेसर्स जोशी एंड नाइक एसोसिएट्स की रिपोर्ट को भी आधार बनाया है। इन सबमें घोटाले की पूरी कहानी है। साफ है ईडी इस मामले में पवार और एमएससी बैंक में 2001 से 2017 के बीच रहे निदेशकों और पदाधिकारियों सहित उन लोगों से पूछताछ कर सकता है, जिनके नाम उसके केस में दर्ज हैं।

यह सच है कि शरद पवार का जिक्र किसी भी रिपोर्ट में नहीं है, पर शिकायतकर्ता सुरिंदर अरोड़ा ने मुंबई पुलिस के सामने अपने हालिया पूरक बयान में दावा किया था कि घोटाला शरद पवार के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता था। बयान उस प्राथमिकी का हिस्सा है जिसके आधार पर ईडी कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में शरद पवार की भूमिका की भी जांच की जाएगी। अजीत पवार पर आरोप है कि एमएससी बैंक ने जो कर्ज आवंटित किए उनके लिए जमानत नहीं ली गई थी और कर्ज सब्सिडी वाली सस्ती दर पर दिया गया था। मुंबई पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक कर्ज की पुनर्रचना इसलिए की गई थी कि उसमें कुछ निदेशकों का निजी हित था। कर्ज समिति ने बड़े राजनेताओं की उन कोऑपरेटिव चीनी मिलों को 2007-08, 2008-09 और 2010-11 में कम मार्जिन पर लोन आवंटित किया था जिनकी नेट वर्थ नकारात्मक थी और जो घाटे में चल रही थीं। इससे बैंक को 297.14 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। पवार पर कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरियों को बेचने के मामले में अनियमितता के आरोप लगे हैं। आरोपों के मुताबिक इन फैक्टरियों को कथित रूप से करीबी लोगों को रिजर्व प्राइस से कम दाम पर बेचा गया।

शरद पवार और उनके समर्थकों का यह तर्क अपनी जगह है कि वे न तो कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापक थे और न कोई पदाधिकारी, किंतु इतने से किसी का पाक साफ होना साबित नहीं होता। ईडी के पास ज्यादातर ऐसे ही मामले आते हैं जिनमें आरोपी का सीधा कोई संबंध नहीं दिखता। मनी लांड्रिंग के मामले में तार से तार जोड़ने होते हैं। इस तरह पवार एवं उनके समर्थक जो भी तर्क दें, ईडी का मानना है कि पुलिस की प्राथमिकी, उच्च न्यायालय के आदेश, नाबार्ड की रिपोर्ट और इंटरनल ऑडिटर मेसर्स जोशी एंड नाइक एसोसिएट्स की रिपोर्ट में उन पर संदेह करने के पर्याप्त आधार हैं। जांच में यदि वे निर्दोष साबित होते हैं तो कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है तो उन्हें सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का रुख करना चाहिए।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

लत

आदमी की आदतें एवं रुचियां भिन्न-भिन्न तरह की होती हैं। वे अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। आदत और जरूरत में भी फर्क होता है। अच्छी आदतें इंसान का निजी वैभव और सौंदर्य बनती हैं, जबकि बुरी आदतें व्यक्ति के पतन का खुला मैदान हैं। आदमी का कहना एक बात है और उसे आचार-प्रचार-विचार में उतारना दूसरी बात है। ऐसे तमाम लोग हैं जो बड़े धर्मात्मा, विद्वान और पंडित हैं, किंतु आचार-व्यवहार की दृष्टि से शून्य हैं। बुरी आदतों ने इंसानी चरित्र को धुंधला दिया है। किसी भी लत को पकड़ना जितना आसान होता है, उसे छोड़ पाना नहीं। किसी भी लत का गुलाम व्यक्ति स्वयं सोचता नहीं, स्वयं देखता नहीं, स्वयं निर्णय नहीं लेता। वह स्वयं हालात के हाथों बिक जाता है, आदतों एवं लतों का गुलाम बन जाता है। जिसके चलते उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। स्वाभिमान की रोशनी बुझ जाती है। आत्मगौरव शिथिल हो जाता है। पौरुष पंगु हो जाता है। संकल्प और विवेक बुद्धि को जंग लग जाता है। लत वह खूंटा है, जिससे बंधकर व्यक्ति कोल्हू के बैल की तरह बिना मुकाम पर पहुंच दिन-रात चलता है, जीवन को अर्थहीन बना देता है।

आदत, लत या व्यसन कोई भी हो हानिकारक होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदतों की प्रकृति क्या है और आप कबसे तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आप कौन हैं या आपने अपने जीवन में क्या किया है? आपकी शारीरिक या मानसिक क्षमता क्या है? इन सच्चाइयों का अनुभव इस बोध से शुरू होता है कि आपके शरीर की पूंजी स्वास्थ्य और अनुकूलनशीलता है, अभी और हमेशा से। आपके होने का अर्थ है-सहज स्वास्थ्य एवं अनंत अनुकूलनशीलता। जबकि मनुष्य आदतों एवं लतों के अधीन गुलाम, अकर्मण्य और आलसी हो जाता है। ऐसा मनुष्य आंखों पर बौनी धारणाओं की पट्टी इतनी कसकर बांध लेता है कि उजाला दिखाने पर भी देखना उसे स्वीकार्य नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम गलत आदतों एवं लतों से निजात पाकर स्वस्थ जीवन जिएं।

ललित गर्ग

जागरूकता से बढ़ेगा रक्तदान

देवेंद्रराज सुथार

चिंताजनक है कि भारत में कुल जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिशत आबादी भी रक्तदान नहीं करती है

रक्तदान जिंदगी से जूझ रहे लोगों को नया जीवन प्रदान करता है। इसलिए रक्तदान को महादान और जीवनदान कहा गया है। भारत में प्रतिवर्ष एक अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। समाज में महान परिवर्तन लाने, जीवनरक्षी उपायों का अनुसरण करने और हिंसा और चोट के कारण गंभीर बीमारी, बच्चे के जन्म से संबंधित जटिलताओं, सड़क यातायात दुर्घटनाओं और कई गंभीर परिस्थितियों से निकलने में रक्तदान की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाना ही इस दिवस का उद्देश्य है। समय पर रक्त नहीं मिलने के कारण भारत में प्रतिवर्ष 15 लाख लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड के अनुसार किसी भी देश में किसी भी स्थिति में उसकी जनसंख्या का कम से कम एक प्रतिशत रक्त आरक्षित होना ही चाहिए। उक्त मानक के अनुसार हमारे देश में कम से कम 1 करोड़ 30 लाख यूनिट रक्त का हर समय आरक्षित भंडार होना चाहिए, लेकिन पिछले वर्षों के आंकड़ों के अनुसार हमारे पास प्रतिवर्ष रक्त की औसतन 90 लाख यूनिट ही उपलब्ध हो पाती है। प्रतिवर्ष लगभग 25 से 30 प्रतिशत रक्त की कमी रह जाती है।

चिंताजनक है कि भारत में कुल जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिशत आबादी भी रक्तदान नहीं करती है। जबकि थाईलैंड में 95 फीसद, इंडोनेशिया में 77 फीसद और म्यांमार में 60 फीसद हिस्सा रक्तदान से पूरा होता है। भारत में मात्र 46 लाख लोग स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। इनमें महिलाएं मात्र 06 से 10 प्रतिशत हैं। इसके अलावा हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में ब्लड बैंक नहीं होने की अलग समस्या है। भारत में रक्तदान को लेकर अभी तक पूरी तरह से जागरूकता आनी बाकी है। अधिकांश लोगों में अब भी यह भ्रांति फैली हुई है कि रक्तदान करने से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। रक्तदान करने से रक्त बढ़ता है और शरीर में नए रक्त का संचार होता है। रक्तदान करने के बाद तकरीबन 21 दिनों के भीतर ही शरीर पुनः रक्त निर्माण कर लेता है। यह दिल को मजबूत कर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव करता है। नियमित अंतराल पर रक्तदान करने से शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। यह रक्तदाता को हृदय आघात से दूर रखता है। नियमित रूप से रक्तदान करने के बाद शरीर में जो नया खून बनता है वह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह वजन को नियंत्रण करने में भी मददगार है।

इसलिए स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करने से नहीं कतराना चाहिए। अतः सरकारी प्रयासों को भी गति देनी होगी। देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्वसुविधायुक्त ब्लड बैंक स्थापित करने होंगे। भारत जैसे भौगोलिक विभिन्नता वाले विशाल देश में जहां कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं अक्सर दस्तक देती हैं, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हमारे जवान कर्तव्य निभाते हुए खून बहाते हैं तथा हमारे अस्थिर पड़ोसी देश हमेशा युद्ध जैसे हालात पैदा करते हैं, ऐसे में रक्त का पर्याप्त आरक्षित भंडार होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

गांधी जी के विचारों को अपनाने की दरकार

'गांधी के स्मरण का सही तरीका' शीर्षक से हृदयनारायण दीक्षित ने गांधी जी के नाना रूप तथा विविध आयामों का गंभीर विश्लेषण किया है। निश्चित रूप से गांधी विश्व इतिहास की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने समाज, राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया। उनका चिंतन भूत, वर्तमान तथा भविष्य को लेकर था, इसलिए भारत ही नहीं विश्व समुदाय ने गांधी को स्वीकार किया और कर रहा है। गांधी जी को आज व्यक्ति मानकर नहीं एक विचार मानकर स्वीकारने और स्मरण करने की आवश्यकता है। समाज जीवन के छुआछूत, सांप्रदायिकता, गरीबी, बेरोजगारी, स्वच्छता, पर्यावरण, किसान, महिलाएं, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति तथा नैतिकता आदि सैकड़ों ऐसे आयाम हैं जिन पर गांधी जी ने विस्तार से चिंतन किया है। 'हिंद स्वराज' तथा 'मेरे सपनों का भारत' नामक पुस्तकें उनके भूत, वर्तमान तथा भविष्य को लेकर चिंतन के महत्वपूर्ण दस्तावेज कही जा सकती हैं। किंतु विडंबना यह है कि एक लंबे समय तक निहित स्वार्थों के चलते नीतियों में गांधी नाम तो उपयोग किया गया, किंतु उनके विचार उपेक्षित रहे। आज आवश्यकता गांधी के विचारों को व्यापक स्तर पर अपनाने की है। इससे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान संभव हो सकेंगे।

डॉ. वेदप्रकाश, हंसराज कॉलेज, दिल्ली

महात्मा गांधी होने का अर्थ

दैनिक जागरण के 30 सितंबर के अंक में हृदयनारायण दीक्षित का लेख, गांधी के स्मरण का सही तरीका, पढ़ा। कमी हर इंसान में होती है तो गांधी जी में भी रही होगी, पर उनकी अच्छाइयां इतनी हैं कि उनके बीच उनकी कमियों का कोई अस्तित्व नहीं। गांधी का सत्य अहिंसा, समानता व सबसे प्रेम का विचार इस देश की आत्मा है। हम अगर इतिहास के पन्नों में झांकें तो पाएंगे कि ये विचार हमारी सभ्यता में अनादि काल से हैं। चूंकि हम बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे तो अपने इन मूलमंत्र को भूलकर कभी अपने मन से, कभी दबाव के कारण तो कभी प्रलोभनों के कारण बाहर से आई सभ्यता को ओढ़ने में लग गए थे जो हमारे पतन का कारण बना। गांधी जी वाकई में महात्माई गुणों से युक्त थे। उन्होंने इनके प्रति हम सबको जगाया और तब तक जगाते रहे जब तक कि हमने बाहर से आई सभ्यताओं को, उनके विचारों को यहां से भगा नहीं दिया। गांधी जी अब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके विचार उनके अनेकानेक लेखों, पुस्तकों और उनके द्वारा किए अनुभवों व प्रयोगों के रूप में विद्यमान हैं। जरूरत है उन्हें पढ़ने और अपने जीवन में उतारने की। यही उन्हें याद करने और सच्ची श्रद्धांजलि देने का उत्तम तरीका है।

सतीश त्यागी काकड़ा, इंदिरापुरम

प्याज की जमाखोरी

प्याज की कीमतों में वृद्धि का कारण महाराष्ट्र में बारिश से फसल को हुए नुकसान को बताया जा रहा है। लेकिन प्याज की फसल तो अप्रैल-मई में तैयार होती है। उस समय इसे कोल्ड स्टोरेज में रख लिया जाता है। प्याज को जब किसान पैदा करता है तब बाजार में इसका मूल्य बहुत कम हो जाता है। यहां तक कि बहुत से किसान प्याज पैदा करने के बाद इसकी खुदाई व बाजार तक ढुलाई का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं। उस समय व्यापारी बहुत कम कीमत में किसानों से प्याज खरीदते हैं। बाद में सप्लाई रोक कर बाजार में संकट पैदाकर ऊंचे भाव में बेचते हैं। प्याज का संकट इसकी कमी नहीं है, बल्कि इसका बड़ा कारण जमाखोरी है। बाजार में प्याज उपलब्ध है तभी तो अधिक कीमत पर मिल रही है। अगर कमी होती तो बाजार में प्याज दिखती ही नहीं। सरकार को प्याज की कालाबाजारी रोकने के लिए सार्थक उपाय करने चाहिए थे।

दीपक गौतम, सोनीपत

ठगों से सावधान

आप जीत सकते हैं पांच किलो सोना, आपके बैंक खाते में आएंगे पचास हजार रुपये। साइबर ठग ऐसी ही बातें कर बैंक ग्राहकों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। फिर उन्हें मीठी-मीठी बातों में उलझाकर बैंक, एटीएम का ब्योरा जुटाकर खाते में जमा राशि निकाल लेते हैं। अखबारों में ऐसी रपटें रोज छपती हैं। साइबर अपराध काफी बढ़ गया है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां चाहकर भी उनका समाधान नहीं कर पा रही हैं।

एम. प्रशांत यादव, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्त